

बिगल-433/2018/उमरिया/एचएच

62

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व एण्ड ल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवाप0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक



अधिवक्ता श्रीमान् राजा राम प्रसाद
सिंह तिवारी कासापडा
12-7-18

राजस्व एण्ड ल ग्वालियर सर्किट
(सर्किट कोर्ट) सिविल

सुदामाप्रसादमिश्र पिता शौशीलाल मिश्र इन0 साकिन डोगरी, टोलामरेवा
तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0 — पुनरीदाणकर्ता

वनाम

दीनदयाल उरमलिया पिता रामप्रताप ब्रा0 निवासी ग्राम दमोय
धाना इन्दवार, तहसील मानपुर, जिल उमरिया म0प्र0

गैरपुनरीदाणकर्ता

न्यायालय श्रीमान् महोदय स्मि
नगरपालिका

शहडोल संभाग के निगरानी प्रकरण क्रमांक

881 निगरानी /11-12पैमारित आदेश

दिनांक 17-4-18।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 पू-राजस्व

संहितासन 1959ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित

आधारों पर प्रस्तुत है:-

- 1 - यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवम न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप न होने के कारण काबिल निरस्तगी के है।

मिग-14313/2018/न.र.उत्तरीमा
सुदामा प्रसाद - दीनदयाल

23
2

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के
------------------	---------------------	--------------------------------

2.8.18

आवेदक श्री ~~...~~ वरुण उजागर सिंह
लिवारी उपका उन्हेने स्वतन्त्र - चहा/स्वतन्त्र
प्रचरण नाममाती पर एन डेपु
दि = 7-9-18
सीका केस

10.F
7.9.18
[Signature]

35

7.9.18.

- 1- आवेदक अधिवक्ता श्री रामउजागर सिंह लिवारी एन डेपु/ कोरपता पर सुना गया।
- 2- वोल्टे अधिका।

[Signature]

11.9.2018.

- ①- प्रकरण में दिनांक 7.9.2018 को आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता पर सुना गया।
- ②- आवेदक के द्वारा यह निगरानी आमुक्त शहरोक के द्वारा अपर कलेक्टर शहरोक के आदेश दि 17/4/2018 के विरुद्ध निगरानी प्रकरण क्रमांक 88/2011-12/निगरानी में जारी आदेश के विरुद्ध पुनः निगरानी प्रस्तुत की है।
- ③) मं.रां.सहित 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत द्वितीय निगरानी का प्रावधान न होने से यह निगरानी अग्रार्थ की जाती है।

[Signature]
11.9.2018